न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– उमा मित्तल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 38/2025

रामकुमार पुत्र गंगाराम जाति जाट साकिन 2 बी.एल.डब्ल्यू खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

—अप्रार्थी

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट राजस्व रिकार्ड दुरूस्त बाबत ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई — प्रार्थी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी सं. 1 व 2

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 5/8/2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री शैलेन्द्र बिश्नोई द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अकित है। यह कि प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 बी.एल.डब्ल्यू के खाता सं. 56/49 के प.नं. 26/239 (5) के किला नं. 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 3.1630 हैक. नहरी मय खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलंग्न वाद पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि की जमाबंदी में प्रार्थी के खाते पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के नाम से नोट लगा हुआ है। जिसमे ना ही कोई प्रकरण सख्या व ना ही कोई अनवान दर्शाया गया है जो कि प्रार्थी की भूमि पर उक्त नोट सहवन दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि पर कही भी किसी भी न्यायालय का नोट नही है। और ना ही उक्त नोट का कही वर्णन किया गया है।

यह कि प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का नोट दर्ज होने के कारण प्रार्थी को के.सी.सी लेने, कृषि भूमि में टयुववेल पर विद्युत कनैक्शन लेने, डिग्गी निर्माण करने आदि अन्य सुविधांए लेने में काफी परेशानी होती है। इसलिये प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे से उक्त नोट हटवाने का हकदार है।

यह कि अप्रार्थी जो कि भू धा[illegible] अप्रार्थी द्वारा ही की जानी है इस कारण पक्षकार बनाया गया है। यह [illegible] पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्याय [illegible] प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि [illegible] 4 बी.एल.डब्ल्यू के खाता सं. 56/49 के प.नं. 26/239 (5) के किला नं. 11/1, 12/[illegible] 13/1, 14/1, 15/3, 1[illegible] 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 3.163[illegible] नहरी मय खातेदारी भूमि [illegible] लगा उक्त नोट हटाने के आदेश फरमाये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:46:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी /तहसीलदार पीलीबंगा को वास्ते रिपोर्ट पत्र जारी किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा से

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रिपोर्ट पत्रांक 2070 दिनांक 12.06.25 एवं पत्रांक 2524 दिनांक 05.08.25 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार चक 4 BLW के खाता संख्या 56/49 के प.नं. 26/239(5) किला नं. 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 17 ता 24 की कुल 3.163 हे. भूमि रामकुमार पुत्र गंगाराम जाति जाट सा. 2 KHN खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खाते पर नोट संख्या–2 दिनांक 09/01/2022 से सम्पूर्ण रकबे पर स्थगन SDM महोदय पीलीबंगा दर्ज है। उक्त स्थगन से सम्बन्धित दस्तावेज या कोई पत्रावली हल्का पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नही है। मुताबिक रिपोर्ट उक्त स्थगन को हटाया जाना उचित है। बहस अधिवक्ता सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एकल रिकार्डिड खातेदार है मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट सम्पूर्ण रकबे पर स्थगन SDM महोदय पीलीबंगा दर्ज है। उक्त स्थगन से सम्बन्धित दस्तावेज या कोई पत्रावली हल्का पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नही है। मुताबिक रिपोर्ट उक्त स्थगन को हटाया जाना उचित है की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर चक 4 BLW के खाता संख्या 56/49 के प.नं. 26/239(5) किला नं. 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 17 ता 24 की कुल 3.163 हे. भूमि रामकुमार पुत्र गंगाराम जाति जाट सा. 2 KHN खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है में दर्ज स्थगन उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा नोट हटाये जाने का आदेश पारित किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि जांच कर स्थगन या वाद नहीं होने की दशा में उपर्युक्तानुसार आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक ...05/8/25 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:46:37 IST
Reason: SelfAttested